संख्या-4/286/63-व0उ0-2015-आर.-152 सी0एम0/12

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2015**

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09.10.2012 को की गयी घोषणा के अन्तर्गत जनपद- आजमगढ़ के कस्बा मुबारकपुर में विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-1642/ह0क0-नियोजन-विपणन केन्द्र, आजमगढ़/2014-15, दिनांक 24.02.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपरोक्त विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु सी0एन0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन रू0 1241.62 लाख का उपलब्ध कराया गया है। उपरोक्त आगणन का परीक्षण कर व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 1241.62 लाख के स्थान पर रू0 1225.08 लाख (रूपये बारह करोड़ पच्चीस लाख आठ हजार मात्र) की लागत पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(2) उक्त विपणन केन्द्र के निर्माण हेतु शासन के पत्र संख्या-1540/63-व0उ0-2013-आर-152 सी0एम0/12, दिनांक 20.11.2013 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रू0 4,90,00,000.00 (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख लात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत मद में रू0 735.08 लाख के बजट के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में वर्णित निर्देशों के क्रम में द्वितीय किस्त के रूप में कुल लागत का 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा सकती है।

(4) अत: जनपद-आजमगढ. के कस्बा-मुबारकपुर में विपणन केन्द्र के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में (कुल धनराशि का 40 प्रतिशत) रू0 4,90,00,000.00 (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

4- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करन से पूर्व मानचित्रों को यदि आवश्यक हो, तब स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया गया।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र/मासिक व्यय विवरण शासन/वित्त विभाग को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर/प्रबन्ध निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का होगा।

(6) उक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 4,90,00,000.00 (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-103-हथकरघा उद्योग-03-जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर में हथकरघा उद्योग के लिये विपणन केन्द्र की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में वर्णित निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

मोनिका एस0 गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या-286(1)/63-व0उ0-2015-आर.-152 सी0एम0/12, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम द्वितीय/लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़, उ0प्र0।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त ई-6 अनुभाग/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज बहादुर
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in